

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 1991

संख्या जे0 डी0/91/7472- पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप-धारा (i)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दिखाये गये अनुसार गांव खोबड़ी, जिला गुड़गांव के देवी खोबड़ी का मन्दिर आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं, अर्थात:-

अनुसूची

जिला गुड़गांव के गांव खोबड़ी में देवी खोबड़ी का मन्दिर के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 203/91, दिनांक 1 फरवरी, 1991 के साथ पढ़ा जाए:-

- उत्तर:** बिन्दु “ए” से लेकर गांव अबेयपुर की आयत संख्या 103 का उत्तरी पश्चिमी कोना, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 103 की उत्तरी सीमा के साथ साथ, उसके बाद उत्तर की ओर आयत संया 87 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 87, 88, 89, 90, 91 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उसके बाद उत्तर की ओर आयत संख्या 69 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 69, 68 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद उत्तर की ओर आयत संख्या 60 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 60 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ उसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 60 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर आयत संख्या 66 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 66 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पूर्व की ओर गांव अबेयपुर की आयत संख्या 96 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ बिन्दु “बी” तक जो आयत संख्या 96 का उत्तरी पूर्वी कोना हैं।
- पूर्व:** उसके बाद दक्षिण की ओर गांव अबेयपुर की आयत संख्या 96 तथा 97 की पूर्वी सीमा और गांव हरचन्दपुर की आयत संख्या 3 तथा 9 की उत्तरी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर गांव हरचन्दपुर की आयत संख्या 9,14,15 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, उसके बाद पश्चिम की ओर आयत संख्या 15 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ उसके बाद दक्षिण की ओर आयत संख्या 19, 28, 34, 40, 47 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, बिन्दु “सी” तक जो गांव हरचन्दपुर की आयत संख्या 47 का दक्षिणी पूर्वी कोना है।
- दक्षिण:** उसके बाद पश्चिम की ओर गांव हरचन्दपुर की आयत संख्या 47,46,45 की दक्षिणी सीमा, गांव दोहला की आयत संख्या 24,42, तथा 44 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ, बिन्दु “डी” तक जहां यह अधिसूचना संख्या जे0डी0 90/4185 दिनांक 28 मार्च, 1990 द्वारा पहले से ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा से मिलता है।
- पश्चिम:** बिन्दु “डी” से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर अधिसूचना संख्या जे0डी0-90/4185, दिनांक 28 मार्च, 1990 द्वारा पहले से ही घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ बिन्दु “ए” अर्थात आरम्भ के बिन्दु तक।

डा0 तरसेम लाल,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT  
Notification

The 30<sup>th</sup> April, 1991

No. JD-91/7472- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him the President of India is pleased to declare the area around Devi Khobri ka Mandir at village-Khobri, Distt. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area for the purposes of the said namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundary of the controlled area around Devi Khobri ka Mandir at village-Khobri, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 203/91 dated 1<sup>st</sup> February, 1991.

- North:** Starting from point ‘A’ i.e. north-Western corner of Rect. No. 103 of Village Abeypur thence to wards East along the Northern boundary of Rect.No. 103 thence to wards North along the Western boundary of Rect. No. 87 thence towards East along the Northern boundary of Rect. No. 87,88,89,90,91 thence towards North along the Western boundary of Rect. No. 69 thence towards east along the Northern boundary of Rect. No. 69, 68 thence towards north along the Western boundary of Rect.no. 60 thence towards East along the Northern boundary of Rect. No. 60 thence to wards south along the eastern boundary of Rect. No. 66 thence towards South along the Eastern boundary of Rect.no. 66 thence towards East along Northern boundary of Rect. No. 96 of village Abeypur upto point ‘B’ which is the North-Eastern corner of Rect. No. 96.
- East:** Thence towards South along the Eastern boundary Rect. No. 96, 97 of Village Abeypru Northern boundary of Rect. No. 3 &9 of Village harchandpur, thence towards South-West along the Eastern boundary of Rect. No.9,14,15 of village Harchandpur thence towards west along the Southern boundary of Rect. No. 15 thence towards South along the Eastern boundary of Rect.No. 19, 28, 34, 40, 47 upto point ‘C’ which is the South Eastern Corner of Rect. No. 47 of Village harchandpur.
- South:** Thence towards West along the Southern boundary of Rect. No. 47, 46, 45 of village Harchandpur Eastern Boundary of Rect. No. 24, 42 and 44 of village Dohle upto point ‘D’ where it meetes the boundary of controlled area already declare – vide notification No. JD-90/4185 dt. 28<sup>th</sup> March, 1990.
- West:** Starting from point ‘D’ towards north west along the boundary of controlled area already declare – vide notification no. JD-90/4185 dated 28<sup>th</sup> march, 1990 upto point ‘A’ i.e. point of start.

DR. TARSEM LAL  
Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Town & Country Planning Department.